विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2024 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित माननीय सदस्य श्री आशुतोष सिन्हा द्वारा पूंछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-18 का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
18(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण के तरीकों में परिवर्तन की आवश्यकता है ?	जी नहीं।
(ख) क्या प्रदेश में मार्च, 2024 में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण के समय पुलिस की गोली से शिक्षकों की मृत्यु भी हुई है ?	जी हाँ।
(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	जी हाँ। विवरण संलग्न है।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	उक्तवत्।

गुलाब देवी
मंत्री।

QACK

संलग्नक–1

प्रस्तर –18(ग) का विवरण –

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस के माध्यम से विभाग के संज्ञान में आया है कि जनपद वाराणसी से वाहन संख्याः यू0पी0–81 बी0टी0–2155 में शिक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार व श्री सन्तोष कुमार एवं दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ सशस्त्र पुलिस बल श्री चन्द्रप्रकाश मुख्य आरक्षी एवं श्री नागेन्द्र चौहान उप निरीक्षक एस0डी0इण्टर कालेज मुजफ्फरनगर में यू0पी0 बोर्ड की हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट वर्ष–2024 की उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त कराने हेतु दिनांकः 17.03.2024 की रात्रि में पहुँच कर विद्यालय के बाहर मेन रोड पर वाहन को खडा कर विश्राम कर रहे थे।

मुख्य आरक्षी श्री चन्द्रप्रकाश, श्री धर्मेन्द्र कुमार शिक्षक एवं दोनो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाहन में पीछे बैठे हुए थे। श्री चन्द्रप्रकाश मुख्य आरक्षी नशे में था तथा बार–बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से तम्बाकू(सुरती) की मांग कर परेशान कर रहा था जिसपर शिक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार द्वारा आपत्ति की गयी।

अतः श्री चन्द्रप्रकाश, मुख्य आरक्षी द्वारा अपनी सरकारी कार्बाईन से अनियंत्रित फायर खोल दिया गया जिससे शिक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजकुमार राम, निवासी बैराट रामगढ, जनपद चन्दौली गम्भीर रूप से घायल हो गये। उनको स्थानीय थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार को परीक्षण के उपरान्त चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। मृतक श्री धर्मेन्द्र कुमार का शव मोर्चरी में रखवा दिया गया। थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा श्री चन्द्रप्रकाश मुख्य आरक्षी सहित सभी मौजूद लोगों, वाहन एवं शस्त्रों को कब्जे में ले लिया गया।

कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, मुंजफ्फरनगर के द्वारा मृतक शिक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ चिकित्सा वाहन में पुलिस बल एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत दो प्रधानाध्यापकों के साथ मृतक के मूल निवास स्थल पर भेजवाकर अन्तिम संस्कार कराया गया। मुख्य आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश मुख्य आरक्षी को छोडकर सभी अध्यापकों एवं साथ में आये चुतर्थ श्रेणी कर्मचारियों को घटना के दूसरे दिन ही सांय को अवमुक्त कर दिया गया था। मुख्य आरोपी के विरूद्व वर्तमान में जनपद पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में विधिक कार्यवाही गतिमान है ताकि इस दुष्कृत्य के लिए कठोर दण्ड दिलाया जा सके।

स्व0 धर्मेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय हाईस्कूल महगांव, वाराणसी की राजकीय कार्य के निर्वहन के दौरान हुयी दुर्घटना मृत्यु के दृष्टिगत मृतक की पत्नी कुमारी रूपा (नामिनी/आश्रित) को एक्स-ग्रेसिया एकमुश्त कम्पेनशेसन के रूप में दिनांक 19.03.2024 को रु0- 25,00,000 (पच्चीस लाख मात्र) खाते में अन्तरित की गयी है।

परिषद् परीक्षाओं की शुचिता बनाये रखना, संकलन/मूल्यांकन कार्य समयान्तर्गत सुचारु रूप से सम्पन्न कराना अथवा परिषद् परीक्षाओं से सम्बन्धित अन्य कार्य जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को लाने-ले जाने का कार्य भी सम्मिलित है, अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सेवा का अंग है। प्रश्नपत्रों के निर्माण से लेकर केन्द्र व्यवस्थापक/वाहय केन्द्रव्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक, मूल्यांकन हेतु उपनियंत्रक/परीक्षक एवं अन्यान्य परीक्षा सम्वन्धी संवेदनशील एवं गोपनीय कार्य शिक्षकों एवं कर्मचारियों की कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा तथा समर्पण भाव के कारण ही हमेशा से नकलविहीन व शुचितापूर्ण ढग से सम्पन्न हो रही है।

उल्लेखनीय है कि सहायक अध्यापक स्व0 धर्मेन्द्र कुमार की मृत्यु की घटना असाधारण प्रकृति की है। बोर्ड परीक्षाओं के संचालन में शिक्षकों के अप्रतिस्थापनीय महत्व एवं स्थिति को देखते हुए उक्त घटना मात्र से उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण की व्यवस्था में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नही है।

(भगवती सिंह)
सचिव।

प्रषक

जिला विद्यालय निरीक्षक
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उ0प्र0 प्रयागराज।

पत्रांक: बो0प024 / 3457 / 2024–25 दिनांक: 29/7/24

विषय: विधान परिषद के द्वितीय सत्र के प्रथम शुक्रवार हेतु श्री आशुतोष सिन्हा, माननीय सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–18 का उत्तरलेख प्रेषित करने हेतु आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक मा0शि0प0 / सिस्टम सेल / 261 दिनांक 24–07–2024 के द्वारा विधान परिषद के द्वितीय सत्र के प्रथम शुक्रवार हेतु श्री आशुतोष सिन्हा, माननीय सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–18 का उत्तरलेख प्रेषित करने हेतु आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस के माध्यम से संज्ञान मे आया है कि जनपद वाराणसी से उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 की उत्तर पुस्तिका लेकर आये वाहन संख्या यू0पी0 81 बी0टी0 2155 के साथ आये शिक्षक श्री धर्मेन्द कुमार व श्री सन्तोष कुमार एवं दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ सशस्त्र पुलिस बल श्री चन्द्रप्रकाश मुख्य आरक्षी एवं श्री नागेन्द्र चौहान उप निरीक्षक उत्तर पुस्तिकाओ के वाहन के साथ एस0डी0इण्टर कालेज मुजफ्फरनगर मे उत्तार पुस्तिका प्राप्त कराने हेतु दिनांक 17–03–2024 की रात्रि मे पहुचे। विद्यालय के बाहर मेन रोड पर वाहन को खड़ा कर विश्राम कर रहे थे। मुख्य आरक्षी श्री चन्द्र प्रकाश, श्री धर्मेन्द शिक्षक एवं दोनो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाहन मे पीछे बैठे हुए थे। श्री चन्द्रप्रकाश आरक्षी के द्वारा नशे में होने तथा बार–बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से तम्बाकू(सुरती) की मांग कर परेशान कर रहा था। जिसका शिक्षक श्री धर्मेन्द्र द्वारा आपत्ति की गयी तो श्री चन्द्रप्रकाश आरक्षी द्वारा अपनी सरकारी कार्बाईन से अनियंत्रित फायर खोल दिया गया जिससे शिक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजकुमार राम निवासी बैराट रामगढ जनपद चन्दौली गम्भीर रूप से घायल हो गया जिनको स्थानीय थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा तत्काल जिला अस्पताल मे भर्ती कराया गया। शिक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार को परीक्षण के उपरान्त चिकित्सको के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। मृतक श्री धर्मेन्द्र कुमार का शव मोर्चरी मे रखवा दिया गया है। थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा श्री चन्द्रप्रकाश मुख्य आरक्षी सहित सभी मौजूद लोगो, वाहन एवं शस्त्रो को कब्जे मे ले लिया गया है।

अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के द्वारा मृतक शिक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ चिकित्सा वाहन मे पुलिस बल एव माध्यमिक विद्यालयों मे कार्यरत दो प्रधानाध्यापको के साथ मृतक के मूल निवास स्थल पर भिजवाकर अन्तिम संस्कार कराया गया। मुख्य आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश मुख्य आरक्षी को छोडकर सभी अध्यापको एवं साथ मे आये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को घटना के दूसरे दिन की सॉय को अवमुक्त कर दिया गया था। मुख्य आरोपी के विरूद्ध वर्तमान मे जनपद पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय मे विधिक कार्यवाही गतिमान है।

आख्या आपकी सेवा मे आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक– उक्तवत्

भवदीय
29.7.24
(राजेश कुमार श्रीवास)
जिला विद्यालय निरीक्षक
मुजफ्फरनगर।

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक: बो०प०/ ~~12821-24~~ 12949-53 /2023-24 दिनांक: 18-03-2024

विषय: बोर्ड परीक्षा 2024 की मूल्यांकन हेतु वाराणसी से आयी उत्तरपुस्तिकाओं की गाड़ी में हुई घटना के सम्बन्ध में

महोदय,

जनपद वाराणसी से उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 की उत्तर पुस्तिका लेकर आये श्री चन्दप्रकाश मुख्य आरक्षी के द्वारा गोली मार कर श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजकुमार राम निवासी बैराट रामगढ़ जनपद चन्दौली की हत्या कर दी गयी । मृतक स्व० श्री धर्मेन्द्र कुमार के परिजन सांय 07 बजे के करीब जनपद में पहुचे मृतक स्व० श्री धर्मेन्द्र कुमार के भाई श्री जितेन्द्र कुमार मो०न० 9696613274 के द्वारा घटना की एफ०आई०आर दर्ज करायी गयी (प्रति संलग्न)। स्व० श्री धर्मेन्द्र कुमार का पोस्टमार्टम कराकर राजकीय शव वाहन संख्या यू०पी०32बी०जी० 6256 के द्वारा सुरक्षित एवं सम्मानपूर्वक तरिके से दो राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं पुलिस सुरक्षा के साथ उनके पैतृक निवास जनपद चन्दौली हेतु रात्रि 02:20 AM पर रवाना किया गया।

सूचना आपकी सेवा मे आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक— उक्तवत्

Dsp 2.30 A.M.

भवदीय
(डॉ० धर्मेन्द्र शर्मा) 18/03/24
जिला विद्यालय निरीक्षक
मुजफ्फरनगर।

पृ०सं०/बो०प०/ ~~12824-24~~ 12949-53 /2023-24 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1—अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2— जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर।
3—वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर।
4—सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० प्रयागराज।
6—संयुक्त शिक्षा निदेशक सहारनपुर मण्डल सहारनपुर।
7—संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षण वाराणसी।

जिला विद्यालय निरीक्षक
मुजफ्फरनगर।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुजफ्फरनगर।

पत्रांकः– मु0चि0अ0 / शव वाहन / कार्यवाही / 2023–24 दिनांकः–18.03.2024

1– श्री विपिन कुमार (वाहन चालक)
2– श्री ओमप्रकाश (शव वाहन चालक संविदा)
कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मुजफ्फरनगर।

विषयः– मृतक धर्मेन्दर कुमार उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र श्री राजकुमार निवासी ग्राम बैराट, रानगढ़, थाना बलुआ जिला चन्दौली के पार्थिव शरीर को उसके निवास स्थान तक पहुँचाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या बो0प0 / 12945–48 / 2023–24 दिनांक 18.03.2024 के अनुरोध पर मृतक धर्मेन्दर कुमार उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र श्री राजकुमार निवासी ग्राम बैराट, रानगढ़, थाना बलुआ जिला चन्दौली के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम हाउस, मोपा रोड से उसके निवास स्थान पर सुरक्षित एवं सम्मानपूर्वक पहुँचाने हेतु आप तत्काल शव वाहन संख्या **UP 32 BG 8256** सहित गंतव्य स्थान के लिये प्रस्थान करना सुनिश्चित करें, साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि आने–जाने हेतु वाहन हेतु डीजल आदि की व्यवस्था जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जायेगी।

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी / नोडल अधिकारी 102 / 108
कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मुजफ्फरनगर।

पत्रांकः– मु0चि0अ0 / शव वाहन / कार्यवाही / 2023–24 / 1140 – तद्दिनांकः–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर को उपरोक्त पत्र में वर्णित पार्थिव शरीर को ले जाने हेतु दो वाहन चालकों को शव वाहन के साथ भेजा जा रहा है।
4. प्रभारी निरीक्षक, थाना पुरकाजी, मुजफ्फरनगर।

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी / नोडल अधिकारी 102 / 108
कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मुजफ्फरनगर।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कार्यालय– जिला विद्यालय निरीक्षक मुजफ्फरनगर।

पत्रांकः प्रबन्ध / 12940-44 /2023–24 दिनांक 18-3-24

1– श्री रामकुमार शर्मा प्रधानाध्यापक राजकीय हाई स्कूल रोनी हर्जीपुर मु0नगर।

2–श्री मुनीश पाल प्रधानाध्यापक राजकीय हाई स्कूल लोई मु0नगर

आप अवगत है कि जनपद वाराणसी से उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा 2024 की उत्तर पुस्तिका लेकर आये श्री चन्द्रप्रकाश मुख्य आरक्षी के द्वारा गोली मार कर श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजकुमार राम निवासी सैयद रामगंज जनपद चन्दौली की हत्या कर दी गयी। स्व0 श्री धर्मेन्द्र कुमार के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक निवास स्थान पर सम्मानपूर्वक भेजने हेतु आपको शव वाहन से अलग गाड़ी मे शोकाकुल परिजनों के साथ साथ जाना है। अतः आप दोनो दिनाक 18–03–2024 को रात्रि 10 बजे तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय मे उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

भवदीय

(डॉ0 धर्मेन्द्र शर्मा)
जिला विद्यालय निरीक्षक
मुजफ्फरनगर।

पृ0सं0 / बो0प0 / 12940-44 /2023–24 दिनांकः उक्तवत्।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1–मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

2– जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर।

3–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर।

4–सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज।

6–संयुक्त शिक्षा निदेशक सहारनपुर मण्डल सहारनपुर।

7–संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षण वाराणसी।

जिला विद्यालय निरीक्षक
मुजफ्फरनगर।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1 District (जिला): मुजफ्फर नगर
P.S. (थाना): सिविल लाइन्स — Year (वर्ष): 2024
FIR No.(प्र.सू.रि. स.): 0075
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 18/03/2024 23:47

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
	भा द स 1860	302
	अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति (नृशसता निवारण) अधिनियम, 1989 (सशोधन 2015)	3(2)(v)

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन): दरमियानी दिन	Date From (दिनांक से): 17/03/2024	Date To (दिनांक तक): 18/03/2024	
Time Period (समय अवधि):	Time From (समय से): 00:00 बजे	Time To (समय तक): 01:46 बजे	

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 18/03/2024 Time (समय):23:47 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 083 Date & Time (दिनांक और समय): 18/03/2024 23:47 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 01 किमी Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): एस.डी इन्टर कालेज ,के गेट के सामने ,मुजफ्फरनगर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

3 Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): जितेन्द्र राम

(b) Father's Name (पिता का नाम) : राजकुमार राम

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 2004

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम बेराठ ,चलुआ,चंदौली,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	ग्राम बेराठ ,चलुआ,चंदौली,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9696613274

7 Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	मुख्य आरक्षी चन्द्र प्रकाश यादव			1. पुलिस लाइन वाराणसी, वरुना (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल प्रार्थना पत्र हस्बजैल .... सेवा में, श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, थाना सिविल लाईन, जनपद मुजफ्फरनगर महोदय, कृपया अवगत कराना है कि प्रार्थी जितेन्द राम पुत्र श्री राजकुमार राम निवासी ग्राम बेराठ पोस्ट रामगढ थाना बलुआ जनपद चंदौली का मूल निवासी है प्रार्थी का भाई धर्मेन्द कुमार पुत्र श्री राजकुमार राम सहायक अध्यापक के पद पर राजकीय हाई स्कूल महगांव वाराणसी में नियुक्त थे। प्रार्थी के भाई की डियूटी बोर्ड कापी पहुंचाने हेतु लगाई गयी थी। दिनांक 14.03.2024 को प्रार्थी का भाई धर्मेन्द कुमार वाहन संख्या UP 81 BT 2955 से अध्यापक सतीष कुमार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जितेन्द कुमार ... कोषागार व पुलिस लाईन वाराणसी से 02 पुलिस कर्मी उ0नि0 नागेन्द चौहान व मुख्य आरक्षी चन्द्रप्रकाश यादव पीएनओ 940540215 के साथ यू0पी0 बोर्ड की परीक्षा कापी लेकर चले थे जिले प्रयागराज, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, बिजनौर मे कापियां उतारकर दिनांक 17/18.03.2024 की रात्रि करीब 12.00 बजे एसडी इन्टर कालेज मुजफ्फरनगर के गेट के सामने गाडी खडी कर ली। एसडी इन्टर कालिज मुजफ्फरनगर का दरवाजा बन्द होने के कारण गाडी मे ही विश्राम करने लगे, जहाँ सडक पर लाईट जल रही थी कभी मुख्य आरक्षी चन्द्रप्रकाश यादव द्वारा बार बार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी व ड्राइवर (तुर्की) ... रहा था और विश्राम नही करने दे रहा था। जिसका विरोध प्रार्थी के भाई धर्मेन्द कुमार ने किया तो मुख्य आरक्षी चन्द्रप्रकाश यादव द्वारा प्रार्थी के भाई को भद्दी भद्दी गालिया व चमार, सियार आदि जातिसूचक शब्दो से अपमानित करना शुरु कर दिया। जिसके सम्बन्ध मेरे भाई धर्मेन्द कुमार ने अपने मोबाइल नम्बर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

[illegible] 162117 से अपने शिक्षक साथी सतोष कुमार को फोन नम्बर 9453805229 पर [illegible] और तत्काल उ0नि0 नागेन्द्र चौहान को साथ लेकर तुरन्त आने को कहा, [illegible] कुमार ने तुरन्त उ0नि0 नागेन्द्र चौहान को यह सूचना दी और उनके साथ पीछे आये [illegible] बोत से [illegible] कर्मचारी जितेन्द्र कुमार मौर्या व कृष्णप्रताप के सामने मुख्य [illegible] साहब ने अपने हाथ में लिये सरकारी असलाह (कार्बाइन) से अन्धाधुन्ध [illegible] करते हुए लगभग 01.46 बजे रात्रि में मेरे भाई धर्मेन्द्र कुमार को गोली मारकर [illegible] है। मेरे पति व पति का भाई अनुसूचित जाति से हैं। शिक्षक सतोष कुमार [illegible] उ0नि0 नागेन्द्र चौहान, गाड़ी का चालक व कन्डक्टर, गोली की आवाज सुनकर तुरन्त [illegible] के पास पहुच गये मेरा भाई धर्मेन्द्र गाड़ी के अन्दर खून से लथपथ अवस्था में पड़ा था। [illegible] घटना की जानकारी स्थानीय शिक्षक एव पुलिस द्वारा मुझे दी गयी। अतः प्रशासन से [illegible] है कि परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिवार की आर्थिक [illegible] की जाये। अतः अनुरोध है कि उक्त घटना के सम्बन्ध में तत्काल एफआईआर दर्ज [illegible] कार्यवाही करने का कष्ट करे। एनटी हिन्दी जितेन्द्र राम पार्थी जितेन्द्र राम [illegible] निवासी ग्राम बेराठ थाना चनुआ जनपद चदौली मो0न0 [illegible] 613274 नोट मैं हे0का0 173 विजय प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र [illegible] अक्षरशः व कायमी मेरे द्वारा की गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का [illegible] मद स. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the Investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जाच के लिए लिया गया): or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) CO CITY (जाच अधिकारी का नाम): Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of

No. 9454401610 (न.): to take up the Investigation (को जाच अपने पास मे लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused Investigation due to (जांच के लिए):

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

or (के कारण इन्कार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name THANA CIVIL LINES
Rank I (Inspector)
No. 9454404064

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक
वाराणसी।

सेवा में,

सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0,
प्रयागराज।

पत्रांक/लेखा/ 3573 /2024–25 दिनांकः 24.07.2024

विषयः विधान परिषद के द्वितीय सत्र के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तरालेख, के सम्बन्ध में आख्या का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में निवेदन है कि आपके पत्रांकः मा0शि0प0/सिस्टम सेल/260 दिनांक 24.07.2024 के क्रम में अवगत कराना है कि स्व0 धर्मेन्द्र कुमार स0अ0 राजकीय हाईस्कूल महगाँव वाराणसी की राजकीय कार्यो के निर्वहन के दौरान हुई दुर्घटना में मृत्यु के दृष्टिगत वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–38/2016–सा–3–921/दस–2016/308/2016 दिनांकः 23.12.2016 के प्रस्तर–11 (क)–कर्तव्य निर्वहन के दौरान दुर्घटना पर मृत्यु होने पर के अनुसार स्व0 धर्मेन्द्र कुमार स0अ0 के परिवार को एक्स–ग्रेशिया एकमुश्त कम्पेन्सेशन की धनराशि के भुगतान/आर्थिक सहायता नियमानुसार दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त के क्रम में शासन के पत्र दिनांकः 18.03.2024 की स्वीकृति के उपरान्त स्व0 धर्मेन्द्र कुमार की पत्नी कुमारी रूपा (नामिनी/आश्रित) को उनके बैंक खाता संख्या–32406763839 टोकन नं0–2724252275 दिनांकः 19.03.2024 को रु0 25,00,000.00 (पचीस लाख मात्र) खाते में अन्तरित किया गया है। वस्तु स्थिति सहित आख्या महोदय की सेवा मे सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय
24/7/24
जिला विद्यालय निरीक्षक
वाराणसी

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
वाराणसी।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक/लेखा/ 13554-63 /2023-24 दिनांक:- 19-03-2024

विषयः बोर्ड परीक्षा 2024 की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु जनपद वाराणसी से मुजफ्फरनगर को उत्तर पुस्तिकाओं के प्रेषण में श्री धर्मेन्द्र कुमार की राजकीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिवार को एक्स-ग्रेसिया एकमुश्त कम्पेन्सेशन की धनराशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 379/15-7-2024, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ, दिनांकः 18 मार्च, 2024 के द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु जनपद वाराणसी से मुजफ्फरनगर को उत्तर पुस्तिकाओं के प्रेषण में स्व0 धर्मेन्द्र कुमार, राजकीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिवार को एक्स-ग्रेसिया एकमुश्त कम्पेन्सेशन की धनराशि रू0 25,00,000.00 (रूपये पच्चीस लाख मात्र) का भुगतान/आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की अनुमति/स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके कम में आपके पत्रांकः डी0ई0/6379-6388/2023-24, दिनांकः 18 मार्च, 2024 द्वारा शासनादेश में निहित निर्देशों के क्रम में स्व0 धर्मेन्द्र कुमार, स0अ0, राजकीय हाईस्कूल महगॉव, वाराणसी के परिवार के आश्रित को एक्स-ग्रेशिया एकमुश्त कम्पेन्सेशन की धनराशि रू0 25,00,000.00 (रूपये पच्चीस लाख मात्र) का भुगतान/आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया है।

उक्त के अनुपालन में रू0 25,00,000.00 (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि स्व0 धर्मेन्द्र कुमार की पत्नी कु0 रुपा (नामिनी/आश्रित) के स्टेट बैंक आफ इण्डिया, चितईपुर, वाराणसी खाता सं0 32406763839 IFSC Code SBIN0012196 के खाते में अंतरित कर दिया गया है, जिसका टोकन नम्बर 2724252275 है। (छायाप्रति संलग्न)

संलग्नक-उक्तवत्।

भवदीय

(अवध किशोर सिंह)
जिला विद्यालय निरीक्षक
वाराणसी

पृ0सं0/लेखा/ 13554-63 /2023-24 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः-निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. जिलाधिकारी, वाराणसी।
5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
7. वित्त एवं लेखाधिकारी(मा0)कार्यालय-जि0वि0नि0वाराणसी।
8. प्रधानाध्यापक, राजकीय हाईस्कूल, महगॉव, वाराणसी।
9. कु0 रुपा पत्नी स्व0 धर्मेन्द्र कुमार, स0अ0, राजकीय हाईस्कूल, महगॉव, वाराणसी।

19/3/24

(अवध किशोर सिंह)
जिला विद्यालय निरीक्षक
वाराणसी।